

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में

सभी अधिकारी/कर्मचारी,  
श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांक: स्था0/02/2023/24493-893 दिनांक: 29/8/23

विषय:-

**Coverage under Punjab Civil Services Rules (CSR) Vol.-II (now Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016), in place of New Defined Contributory Pension Scheme, of those State Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment, on or before 28.10.2005.**

.....

उपरोक्त विषय पर के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायते दिनांक 08.05.2023 की प्रति भेजते हुये सूचित किया जाता है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति/भर्ती नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की नोटिफिकेशन की तारीख यानी दिनांक 28.10.2005 से पहले विज्ञापित/अधिसूचित भर्ती से हुई है, वह वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु न0 (i) में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये उक्त बारे अपनी ऑपशन मुख्यालय में भिजवायें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

*Sublime*  
9  
उप अधीक्षक (स्था0)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।